# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 63/2009 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2009/00066

## उनवान

1. जल सिंह पुत्र श्री खरगी जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
.....अपीलांट।

बनाम

1. जवाहर पुत्र राम सिंह जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई भरतपुर।
2. परसराम पुत्र सोहनलाल(मृतक)
   2/1. मीना वेवा परसराम जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. चेतराम पुत्र सोहनलाल
4. केसरदेवी वेवा सोहनलाल (मृतक)
5. मुस0 कमलेश कुमारी पुत्री सोहनलाल पत्नी आनन्द कुमार उर्फ भोलू जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट मूडिया साद तहसील वैर जिला भरतपुर।
6. मुस0 मछलादेवी पुत्री सोहनलाल पत्नी रामभरोसी जाति जाट निवासी पंजाबी मौहल्ला अपर काडवाडी वाले कस्बा नदबई जिला भरतपुर।
..... असल रेस्पोंडेंट।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
8. सब रजिस्ट्रार नदबई जिला भरतपुर।
9. खुशीराम पुत्र समय सिंह (मृतक)
   9/1. वीरो पत्नी खुशीराम
   9/2. राजेश पुत्र खुशीराम
   9/3. प्रभू पुत्र खुशीराम
   9/4. निमला पुत्री खुशीराम
   9/5. वरफी पुत्री खुशीराम
   } जाति जाट नि0 बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. रामसहाय पुत्र टुण्डा (मृतक)
    10/1. कलाकंदी पत्नी स्व0 रामसहाय
    10/2. अमर सिंह
    10/3. साहब सिंह } पिस0 स्व0 रामसहाय
    10/4. सतीश
    } जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुरं
    10/5. सुशीला पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी शिवराम जाति जाट निवासी सैडोली तहसील नदबई जिला भरतपुर।
    10/6. राजवीरी पुत्री स्व0 रामसहाय पत्नी परमानन्द निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

11. मोती पुत्र किशना (मृतक)
    11/1. त्रिवेणी पत्नी मोती
    11/2. हिम्मत पुत्र मोती
    11/3. कुंजबिहारी पुत्र मोती
    11/4. सुनीता पुत्री मोती
    11/5. गुड्डी पुत्री मोती
    11/6. सीमा पुत्री मोती
12. लक्ष्मन पुत्र सामलिया
13. छीतर पुत्र सामलिया
14. मुस0 किस्तूरी वेवा सामलिया

जाति जाट नि0 बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई दि0 17.06.2009 मि.नं. 141/08 उनवानी लक्ष्मन बनाम जवाहर।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री पंकज कुमार उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी बन्दोबस्त पूर्व संवत 2018 से 2022 की जमाबन्दी में रामसिंह, शोभाराम 1/6 हिस्सा के व सामलिय 1/6 हिस्सा का तथा जल सिंह 1/6 हिस्सा का तथा समय सिंह, रामसहाय 1/4 हिस्से के तथा मोती 1/4 हिस्सा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार थे। बाद में राम सिंह के स्थान पर उनके वारिस प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01, शोभाराम व समय सिंह के स्थान पर प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 व 6 व सामलिया के स्थान पर वादीगण/अपीलाण्ट वारिसान होने से रिकार्ड में अंकित हैं। परन्तु भू प्रबन्ध के दौरन वादीगण/अपीलाण्ट का 1/6 हिस्सा के स्थान पर 1/8 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी/ का भी 1/6 के स्थान पर 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 संयुक्त को 1/6 के स्थान पर 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया व तरतीवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 6 से 8 का इन्द्राजात पूर्ववत रखा गया। जबकि वादीगण अपीलाण्ट आज तक 1/6 हिस्सा पर बदस्तूर काबिज हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण अपीलाण्ट को विवादित आराजी में 1/8 के स्थान पर 1/6 हिस्सा पर, चूंकि तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 ने खाता संख्या 224 में अंकित विवादित आराजी रकवा 8 बीघा 19 बिस्वा में से 1/8 हिस्सा विक्रय कर दिया है। अतः इस आराजी पर 2/24 हिस्सा तथा अन्य आराजी पर 1/8 के स्थान पर 1/6 हिस्सा का इन्द्राजात करा पाने के हकदारी हैं तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/4 हिस्सा के इन्द्राजात को कलमजन कर 1/6 हिस्सा दर्ज करने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी हैं। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने इन्द्राज दुरूस्ती का दावा किया था। बन्दोबस्त विभाग ने दौराने बन्दोबस्त इन्द्राज परिवर्तन कर दिये, जबकि उन्हें इस प्रकार परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। प्रकरण में तनकी संख्या 01 महत्वपूर्ण तनकी है। पक्षकारान पारिवारिक सदस्य हैं। खुदकाश्त एक व्यक्ति के नाम है तो पारिवार के सभी सदस्यो की काश्त मानी जावेगी। जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन के बाद संवत 2018 की जमाबन्दी में इन्द्राज किये। खुदकाश्त के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट के पूर्वज सांवलिया का इन्द्राज बदस्तूर नहीं रखा। रैस्पो0 का एक बैल के आधार पर 1/4 हिस्सा माना। जबकि सांवलिया का भी 1/4 होना चाहिये। विरोधाभाषी निर्णय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया। अपीलाण्ट विवादित आराजी पर शुरू से ही 1/6 हिस्से के खातेदार हैं। इन्द्राज दुरूस्ती करते हुये, बन्दोबस्त की त्रुटि को शुद्ध किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने जल सिंह के विरूद्ध निष्कर्ष दिये हैं। अतः जल सिंह को भी अपील करनी पडी। जमाबन्दी संवत 2010-13 व 2014-17 के अवलोकन से सिद्ध हो जाता है कि बन्दोबस्त विभाग ने इन्द्राज परिवर्तन किये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि राम सिंह व सावंलिया की संवत 2010–13 में एक–एक बैल के काश्तकार दर्ज हैं। दोनों का ही विवाद है, शेष के बाबत् कोई विवाद नहीं है। राम सिंह ने 1/4 (एक बैल) में से अपने भाई शोभाराम को दे दी। इस प्रकार वह 1/8–1/8 के काश्तकार हो गये। सांवलिया 1/4(एक बैल) था। जिसमें से उन्होंनें एक हिस्सा जल सिंह को दे दिया। इस प्रकार वह दोनों भी 1/8–1/8 हिस्से के काश्तकार हो गये। बन्दोबस्त से पहले के इन्द्राज हैं। जिनकी दुरूस्ती हुई है। बन्दोबस्त विभाग ने कोई इन्द्राज परिवर्तन नहीं किये। संवत 2028 से पहले की जमाबन्दियों में दुरूस्ती हुई है। राजस्व कर्मियों ने इन्द्राज परिवर्तन किये हैं। अपीलाण्ट का यह कथन कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं, गलत है। दोनों एक परिवार के सदस्य नहीं हैं। रैस्पो0 के पूर्वज तुला हैं व अपीलाण्ट के पूर्वज जुगला है, तो एक परिवार के सदस्य कैसे हो सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सही दावा खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के पेज संख्या 04 में स्पष्ट लिखा है कि जमाबन्दी संवत 2018–22 में अंकन किया जाना उचित प्रतीत है। इसके अलावा जल सिंह ने विवादित आराजी में 1/8 हिस्सा मानते हुये बयनामा कराया है। अतः विवादित आराजी में वह अपना 1/8 हिस्सा स्वीकारते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 2000 पेज 278, 1989 पेज 520, 738, 1972 पेज 326, 1995 पेज 316, 1991 पेज 428, आरएलडब्ल्यू 2012 पेज 172, आरआरटी 2002 पेज 775 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित पॉच तनकियॉ निर्धारित की हैं। जिनमे तनकी संख्या 01 महत्वपूर्ण तनकी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या 01"आया वादीगण विवादित आराजी के 1/6 हिस्से के बाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के 1/4 के इन्द्राज को कलमजन कराकर 1/6 हिस्से दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 को खसरा नम्बर 727, 732 से 735 तक किता 5 पर 1/12 हिस्सा व अन्य आराजी पर 1/6 हिस्सा र्द करवाने के अधिकारी होकर राजस्व रिकार्ड में अमल करवाने के अधिकारी हैं" हमने पत्रावली पर राजस्व अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत 2010 व 2014 की जमाबन्दी में विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 377, 378, 380 के वादीगण अपीलाण्ट के पिता सामलिया व असल रैस्पो0 के पिता राम सिंह व शोभाराम व तरतीवी प्रतिवादी जल सिंह के पिता

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

खरगी अन्य व्यक्तियो के साथ मालिक थे। परन्तु जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2013 के खाना संख्या 5 में रैस्पो0 संख्या 6 के पिता राम सिंह एक बैल व वादीगण अपीलाण्ट के पिता सामलिया एक बैल व अन्य सहमालिक समय सिंह एक बैल व हुक्मा एक बैल के खुद काश्त होल्डर दर्ज हैं। इस साविक आराजी की इसी प्रकार की प्रविष्टियॉ जमाबन्दी संवत 2014 लगायत 2017 में दर्ज हैं। इस प्रकार उक्त साविक तीनों नम्बरान में रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 6 के पितागण संयुक्त रूप से वहिस्सा बराबर दर्ज थे। जहॉ तक जल सिंह का नाम 1/6 में दर्ज होने का प्रश्न है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2010, 2014 के खाना संख्या 4 में जल सिंह का नाम वहैसियत मालिक हिस्सेदार दर्ज हैं। इसलिये इस अंकन के आधार पर जल सिंह को भी मुताबिक कानून अपीलाण्ट के पिता सामलिया रैस्पो0 के पितागण राम सिंह व सोहनलाल के साथ वहिस्सा बराबर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। परन्तु जमाबन्दी संवत 2022 में राजस्व कर्मियों ने बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित आराजी बाबत् पूर्व इन्द्राजो को परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात् भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भी दौराने बन्दोबस्त इन्द्राजो में परिवर्तन कर दिया। उक्त दोनों अंकन विरोधाभाषी हैं एव किस आदेश से परिवर्तन किये गये हैं। ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। बिना किसी सक्षम आदेश इस प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार ना तो राजस्व कार्मिको को है एवं ना ही बन्दोबस्त विभाग को ही है। उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी वहक वादी अपीलाण्ट तय की जाती है।

7. तनकी संख्या 02–" आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं" चूंकि तनकी संख्या 01 में उभयपक्षकारान के हिस्सो में बिना किसी सक्षम आदेश परिवर्तन किया जाना स्पष्ट साबित होता है। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी होते हैं।

8. तनकी संख्या 03, 04 तनकी संख्या 01 की विवेचना से प्रभावित होती हैं। अतः विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

9. दादरसी – समस्त तनकीयात का निस्तारण हो चुका है। वादी अपीलाण्ट अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल हुये हैं। अतः वादीगण अपीलाण्ट का वाद डिक्री किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं। अतः वादी अपीलाण्ट का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादपत्र की मद संख्या 2 में अंकित विवादित आराजी पर वादीगण अपीलाण्ट को 1/6 हिस्से का वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के 1/4 हिस्से के इन्द्राजात को कलमजन करके 1/6 हिस्सा तथा वादीगण अपीलाण्ट का 1/8 हिस्सा को कलमजन करके 1/6 हिस्सा इसी प्रकार तरतीवी प्रतिवादी जल सिंह को विवादित आराजी में से आराजी खसरा नम्बर 727, 732, 733, 734, 735 किता 5 रकवा कुल 8 बीघा 19

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

विस्वा पर 2/24 हिस्सा पर तथा अन्य आराजीयात पर 1/8 हिस्सा के स्थान पर 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2009 अपास्त किये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर